

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 600]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 नवम्बर 2010—अग्रहायण 3, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्रमांक एफ-ए-3-2010-1-पांच, (94).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इंडियन आयल कार्पोरेशन, लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एस्सार आयल लिमिटेड को उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए तेल कम्पनियों के रूप में अधिसूचित करती है.

2. यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 2010 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर, 2010

क्रमांक एफ-ए-3-17-2010-1-पांच, (94).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-26-2010-1-पांच, (94) दिनांक 24 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th November 2010

FA-3-17-2010-1-V-(94).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 9 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies Indian Oil Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, Reliance Industries Limited and Essar Oil Limited as oil companies for the purpose of the said sub-section.

2. This notification shall come into force with effect from 1st December, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.